न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 06/2021, जी.सी.एम.एस. नं. 2021/12

1. अम्बालाल पुत्र मोहरलाल
2. प्रभू पुत्र गंगाधर
3. विशन्या पुत्र कल्याण
4. नारायण पुत्र विशन्या
5. किशनलाल दत्तक पुत्र गंगाधर
6. रतन पुत्र कल्याण (मृतक)
   6/1 रमेशी
   6/2 गिल्ली
7. गंगाराम पुत्र रामगोपाल
8. अर्जुन पुत्र रामगोपाल
9. रामनिवास पुत्र उंकार
10. सुरजन पुत्र हरगोविन्द
11. लखपत पुत्र हरगोविन्द
12. हरिबल्लभ पुत्र हरगोविन्द

समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम गुडला चन्दन तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर।

13. गीता पुत्री हरगोविन्द पत्नी श्योराम जाति मीना निवासी ग्राम श्यामोता तहसील व जिला सवाई माधोपुर, राज0।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

अपी0

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी गुडला चन्दन तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर, राज0।
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडोदा, शाखा बौंली, सवाई माधोपुर
3. शाखा प्रबंधक बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पोपलवाडा, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
4. शाखा प्रबंधक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा सवाई माधोपुर
5. शाखा सचिव सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बौंली सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसील बौंली, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:16 IST
Reason: SelfAttested

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली मु0न0 27/2018 निर्णय व डिग्री दिनांक 22.11.2019)

Scanned with CamScanner

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री शिवचरण सोनी
2. रेस्पो0 की ओर से श्री कैलाश सिंह राजावत एवं श्री शरद कुमार यादव

निर्णय

दिनांक 14.09.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 27/2018 निर्णय दिनांक 22.11.2019 उनवानी दिनेश कुमार वगै0 बनाम अम्बालाल वगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पों0 ने दावा बावत् घोषणा शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादी/रेस्पों0 ग्राम गुडलाचंदन तहसील बौंली का निवासी एंव काश्तकार पैशा व्यक्ति है। ग्राम गुडलाचंदन की तन में पुराना ख0नं0 376 मिन रकबा 5 बीघा 2 विस्वा स्थित था जिसके हाल सैटलमेन्ट में चार ख.नं. अंकित किये गये जो कमशः ख.नं. 494 रकबा 0.63, ख.नं. 495 रकबा 0.62 है0 ख.नं. 511 रकबा 0.02 एंव ख.नं. 512 रकबा 0.01 है0 बने, जो एक ही चक के रूप में स्थित है। इस आराजीयात की जमीन पर कोई विवाद नहीं है किन्तु नक्शा ट्रेस में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने ख.नं. 376 मिन से काफी छोटा बना दिया है जिसमें कुछ भूमि प्रतिवादीगण/अपी0 के खेतों में मिला दी गयी है जबकि कुछ भूमि प्रतिवादीगण/अपी0 की मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत में शामिल कर दी गयी है। वादी/रेस्पों0 के खेत के ख.नं. 495 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर प्रतिवादी/अपी0 संख्या 01 अम्बालाल का खेत है जिसमें मुझ वादी/रेस्पों0 की जमीन 08 मीटर पश्चिम में व 12 मीटर पूरब में तथा कुल लम्बाई 28 मीटर कुल रकबा 0.0280 वर्ग मीटर प्रतिवादी/अपी0 सं. 01 के ख.नं. 507/1416 में मुझ वादी/रेस्पों0 की भूमि नक्शे में गयी है जिसे वादी/रेस्पों0 दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसी तरह मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत ख.नं. 495 के उत्तरी मध्य भाग में पश्चिम की तरफ 12 मीटर तथा पूरब की तरफ 6 मीटर एंव 72 मीटर लम्बाई में कुल रकबा 0.0648 वर्ग मीटर को ख.नं. 508 में तथा ख.नं. 495 के उत्तरी–पूर्वी भाग में 6 मीटर चौडाई व 40 मीटर लम्बाई त्रिभुजाकार रूप में कुल रकबा 0.0120 वर्ग मीटर को ख.नं. 509 में मिला दिया गया। ख.नं. 508 व 509 [illegible] को मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत ख.नं. 495 में शामिल किया जाना है। इसी तरह मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत के पश्चिम की तरफ प्रतिवादी/अपी0 सं. 04, 05 व 06 का ख.नं. 496 स्थित है। ख. नं. 496 का उत्तरी–पश्चिमी 4 मीटर पूरब पश्चिम व 40 मीटर उत्तर–दक्षिण लम्बाई में जो 0.0080 वर्ग मीटर है, जो कि वादी/रेस्पों0 के ख.नं. 495 के खेत का हिस्सा था जो प्रतिवादी/अपी0 सं. 04, 05 व 06 के ख.नं. 496 में दबा दिया गया है जिनसे मुझ वादी/रेस्पों0 को अपनी भूमि शुद्व करवानी है किन्तु प्रतिवादी/अपी0 सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

04, 05 व 06 के ख.नं. 496 का दक्षिणी भाग में 6 मीटर पूरब–पश्चिम एंव 12 मीटर उत्तर–दक्षिण त्रिभुजाकार रूप में 0.0036 वर्ग मीटर भूमि मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत ख. नं. 492 में दर्ज कर दी है जिसे मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत ख.नं. 494 के नक्शा–ट्रेस से हजफ कर प्रतिवादी/अपी0 सं. 04 ल0 06 के ख.नं. 496 में दर्शाकर शुद्व किया जावें। मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत ख.नं. 494 एंव 495 का पूर्वी भाग में ख.नं. 515 स्थित है, इसमें मुझ वादी/रेस्पों0 की 20 मीटर पूरब–पश्चिम मध्य में चौडाई एंव उत्तरी–पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी कोने तक त्रिभुजाकार रूप में 36 मीटर कुल रकबा 0.0260 वर्ग मीटर जिसका कुल रकबा 0.0360 वर्ग मीटर होता है, को ख.नं. 515 में दबा दिया गया है जिसका खातेदार प्रतिवादी/अपी0 सं. 07 गंगाराम है जिसे वादी/रेस्पों0 अपने नक्शे में शुद्व कराने का अधिकारी है। इसी तरह प्रतिवादी/अपी0 सं. 08 ल0 13 के ख.नं. 493 का उत्तरी भाग मध्य में 88 मीटर लम्बा तथा बीच में 3 मीटर चौडा दोनों ओर से त्रिभुज़ाकार कुल रकबा 0.0132 है0 मुझ वादी/रेस्पों0 के खेत ख.नं. 494 में दर्शा दिया गया है जिसे वादी/रेस्पों0 के हिस्से ख.नं. 494 से हटाया जाकर प्रतिवादी/अपी0 सं. 8 ल0 13 के ख.नं. 493 में शामिल किया जावें। इसी तरह ख.नं. 511 का उत्तरी भाग ख.नं. 510 के खातेदार प्रतिवादी/अपी0 सं. 02 ल0 03 की भूमि में उत्तरी भाग 0.01 एयर मिला दिया है एवं ख.नं. 512 रकबा 0.01 का सम्पूर्ण भाग भी ख.नं. 510 के खातेदार प्रतिवादी/अपी0 सं. 02 एंव 03 की भूमि में दर्शा दिया गया है जिसे नक्शे में शुद्व करवाने का वादी/रेस्पों0 अधिकारी है। मुझ वादी/रेस्पों0 को यह पूर्ण अधिकार हासिल है कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा मुझ वादी/रेस्पों0 के कब्जे काश्त की भूमि जो पुराने नक्शा अनुसार मार्क–ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. से नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी है के अनुसार वर्तमान नक्शे को शुद्व किया जावें तथा जितनी--जितनी भूमि मेरे पुराने नक्शेनुसार प्रतिवादीगण/अपी0 के नक्शे में दर्शायी गयी है उनके नक्शे से हजफ कर मेरे नक्शे में जोडी जावे तथा मुझ वादी/रेस्पों0 के नक्शे में प्रतिवादी/अपी0 सं. 04 ल0 06 के पक्ष में ख.नं. 494 की भूमि जो मेरे हिस्से में दर्शायी गयी है उसे वादी/रेस्पों0 के हिस्से से हजफ किया जावें। इसी तरह आराजी ख.नं. 493 की कुछ भूमि जो 0.0176 है0 मेरे खेत ख.नं. 494 में दर्शादी गयी है उसे मुझ वादी/रेस्पों0 के नक्शे से हजफ कर प्रतिवादी/अपी0 सं. 08 ल0 13 के खेत ख.नं. 493 में दर्ज की जावें। अन्त में दावा वादी/रेस्पों0 डिक्री किये जाने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पों0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पों0 का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. .अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2019 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदांद मिसिल है और विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पों0 सं. 01 ने तामील कुनन्दा एवं पोस्टमेन से मिलकर फर्जी एवं गलत तामील करवाई थी। इस कारण दिनांक 21.01.2019 को अपी0 01 ल0 13 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर दिनांक 22.11.2019 को एक तरफा निर्णय एवं डिक्री जारी की गई है। अपी0 सं. 06 रतन पुत्र कल्याण का स्वर्गवास हो चुका है उसके 2 पुत्रियां रमेशी एवं गिल्ली है। अपीलांट सं. 13 गीता ग्राम श्यामोता तहसील व जिला सवाई माधोपुर में रहती है उसकी तामील कुनन्दा द्वारा ग्राम गुडलाचन्दन में कर दी गई है। इस प्रकार उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री पारित कर अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। रेस्पों. सं. 01 के खेत के ख.नं. 495 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर अपीलांट सं. 01 अम्बालाल का खेत है जिसमें रेस्पों. की जमीन 8 मीटर पश्चिम में व 12 मीटर पूर्व में तथा कुल लम्बाई 28 मीटर कुल रकबा 0.0280 वर्गमीटर अपीलांट सं. 01 के ख.नं. 507/1416 में रेस्पों. की भूमि नक्शें में गई है जिसे रेस्पों. दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसी तरह रेस्पों. के खेत ख.नं. 495 के उत्तरी मध्य भाग में पश्चिम की तरफ 12 मीटर तथा पूर्व की तरफ 6 मीटर एवं 72 मीटर लम्बाई में कुल रकबा 0.0648 वर्गमीटर को ख.नं. 508 में तथा ख.नं. 495 के उत्तरी पूर्वी भाग में 6 मीटर चौडाई व 40 मीटर लम्बाई त्रिभुजाकार रूप में कुल रकबा 0.0120 वर्गमीटर को ख.नं. 509 में मिला दिया गया। ख.नं. 508 व 509 की भूमि को रेस्पों. के खेत ख.नं. 495 में शामिल किया जाना है। इसी तरह रेस्पों. के खेत के पश्चिम की तरफ अपी0 सं. 04, 05 व 06 का खेत ख.नं. 496 स्थित है। ख.नं. 496 का उत्तरी–पश्चिमी 4 मीटर पूर्व–पश्चिम चौडा व 40 मीटर उत्तर–दक्षिण लम्बाई में जो 0.0080 वर्गमीटर, जो कि वादी/रेस्पों0 के ख.नं. 495 के खेत का हिस्सा था जो प्रतिवादी/अपी0 सं. 04, 05 व 06 के ख.नं. 496 में दबा दिया गया है जिससे रेस्पों. को अपनी भूमि शुद्व करवानी है किन्तु अपी0 सं. 4, 5 व 6 के ख.नं. 496 का दक्षिणी भाग 6 मीटर पूर्व पश्चिम एवं 12 मीटर उत्तर दक्षिण त्रिभुजाकार रूप में 0.0036 वर्गमीटर भूमि रेस्पों. के खेत ख.नं. 492 में दर्ज कर दी है जिसे रेस्पों. के खेत ख.नं. 494 के नक्शा ट्रेस से हजब कर अपी0 सं. 4, 5 व 6 के ख.नं. 496 में दर्शाकार शुद्व किया जावें। रेस्पों. के खेत ख.नं. 494 एवं 495 का पूर्वी भाग ख.नं. 515 स्थित है में [illegible] 20 मीटर पूर्व पश्चिम मध्य में चौडाई एवं उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी कोने तक [illegible]जाकार रूप में 36 मीटर कुल रकबा 0.0260 वर्गमीटर जिसका कुल रकबा [illegible] वर्गमीटर होता है को ख.नं. 515 में दबा दिया गया है जिसका खातेदार अपी0 सं. 7 [illegible]राम है जिसे रेस्पों. अपने नक्शे में शुद्व करवाने का अधिकारी है। इसी तरह अपी0 सं. 08 ल0 13 के ख.नं. 493 का उत्तरी भाग मध्य में 88 मीटर लम्बा तथा बीच में 3 मीटर चौडा दोनों ओर से त्रिभुजाकार कुल रकबा 0.0132 है0 रेस्पों. के खेत ख.नं. 494 में दर्शा दिया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिसे रेस्पों. के हिस्से ख.नं. 494 को हटाया जाकर अपी0 सं. 8 ल0 13 के ख.नं. 493 में शामिल किया जावें। इसी तरह ख.नं. 511 का उत्तरी भाग ख.नं. 510 के खातेदार अपी0 सं. 2 ल0 3 की भूमि में उत्तरी भाग 0.01 ऐयर मिला दिया है एवं ख.नं. 512 रकबा 0.01 का सम्पूर्ण भाग भी ख.नं. 510 के खातेदार अपी0 सं. 2 व 3 की भूमि में दर्शा दिया गया है जिसे नक्शे में शुद्व करवाने का रेस्पों. अधिकारी है। उक्त निर्णय व डिक्री एक तरफा में तथा तहसीलदार बौंली एवं गिरदावर सर्किल पीपलवाडा एवं हल्का पटवारी बागडोली से वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2019 की जानकारी दिनांक 07.07.2020 को अपी0 अम्बालाल व अन्य को पटवारी हल्का से प्रथम बार जानकारी हुई तथा दिनांक 08.07.2020 को नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पों0 ग्राम गुडलाचंदन तहसील बौंली का निवासी एंव काश्तकार पैशा व्यक्ति है। ग्राम गुडलाचंदन की तन में पुराना ख0नं0 376 मिन रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा स्थित था। जिसके हाल सैटलमेन्ट में चार ख.नं. अंकित किये गये जो क्रमशः ख.नं. 494 रकबा 0.63, ख.नं. 495 रकबा 0.62 है0 ख.नं. 511 रकबा 0.02 एंव ख.नं. 512 रकबा 0.01 है0 बने, जो एक ही चक के रूप में स्थित है। इस आराजीयात की जमीन पर कोई विवाद नहीं है किन्तु नक्शा ट्रेस में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने ख.नं. 376 मिन से काफी छोटा बना दिया है जिसमें कुछ भूमि अपी0 के खेतों में मिला दी गयी है जबकि कुछ भूमि अपी0 की रेस्पों0 के खेत में शामिल कर दी गयी है। रेस्पों0 के खेत के ख.नं. 495 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर अपी0 संख्या 01 अम्बालाल का खेत है जिसमें रेस्पों0 की जमीन 08 मीटर पश्चिम में व 12 मीटर पूरब में तथा कुल लम्बाई 28 मीटर कुल रकबा 0.0280 वर्ग मीटर अपी0 सं. 01 के ख.नं. 507/1416 में रेस्पों0 की भूमि नक्शे में गयी है जिसे रेस्पों0 दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसी तरह रेस्पों0 के खेत ख.नं. 495 के उत्तरी मध्य भाग में पश्चिम की तरफ 12 मीटर [illegible] की तरफ 6 मीटर एंव 72 मीटर लम्बाई में कुल रकबा 0.0648 वर्ग मीटर को [illegible] 508 में तथा ख.नं. 495 के उत्तरी–पूर्वी भाग में 6 मीटर चौड़ाई व 40 मीटर [illegible] रूप में कुल रकबा 0.0120 वर्ग मीटर को ख.नं. 509 में मिला दिया ग[illegible] ख.नं. 508 व 509 की भूमि को रेस्पों0 के खेत ख.नं. 495 में शामिल किया जाना है। इसी तरह रेस्पों0 के खेत के पश्चिम की तरफ अपी0 सं. 04, 05 व 06 का खेत ख.नं. 496 स्थित है। ख.नं. 496 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उत्तरी–पश्चिमी 4 मीटर पूरब–पश्चिम चौडा व 40 मीटर उत्तर–दक्षिण लम्बाई में जो 0.0080 वर्ग मीटर है, जो कि रेस्पों0 के ख.नं. 495 के खेत का हिस्सा था जो अपी0 सं. 04, 05 व 06 के ख.नं. 496 में दबा दिया गया है जिनसे रेस्पों0 को अपनी भूमि शुद्व करवानी है किन्तु अपी0 सं. 04, 05 व 06 के ख.नं. 496 का दक्षिणी भाग में 6 मीटर पूरब–पश्चिम एंव 12 मीटर उत्तर–दक्षिण त्रिभुजाकार रूप में 0.0036 वर्ग मीटर भूमि रेस्पों0 के खेत ख.नं. 492 में दर्ज कर दी है जिसे रेस्पों0 के खेत ख.नं. 494 के नक्शा–ट्रेस से हजफ कर अपी0 सं. 04 ल0 06 के ख.नं. 496 में दर्शाकर शुद्व किया जावें। रेस्पों0 के खेत ख.नं. 494 एंव 495 का पूर्वी भाग में ख.नं. 515 स्थित है, इसमें रेस्पों0 की 20 मीटर पूरब–पश्चिम मध्य में चौडाई एंव उत्तरी–पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी कोने तक त्रिभुजाकार रूप में 36 मीटर कुल रकबा 0.0260 वर्ग मीटर जिसका कुल रकबा 0.0360 वर्ग मीटर होता है को ख.नं. 515 में दबा दिया गया है जिसका खातेदार अपी0 सं. 07 गंगाराम है जिसे रेस्पों0 अपने नक्शे में शुद्व कराने का अधिकारी है। इसी तरह अपी0 सं. 08 ल0 13 के ख.नं. 493 का उत्तरी भाग मध्य में 88 मीटर लम्बा तथा बीच में 3 मीटर चौडा दोनों ओर से त्रिभुजाकार कुल रकबा 0.0132 है0 रेस्पों0 के खेत ख.नं. 494 में दर्शा दिया गया है जिसे रेस्पों0 के हिस्से ख.नं. 494 से हटाया जाकर अपी0 सं. 8 ल0 13 के ख.नं. 493 में शामिल किया जावें। इसी तरह ख.नं. 511 का उत्तरी भाग ख.नं. 510 के खातेदार अपी0 सं. 02 ल0 03 की भूमि में उत्तरी भाग 0.01 एयर मिला दिया है एवं ख.नं. 512 रकबा 0.01 का सम्पूर्ण भाग भी ख.नं. 510 के खातेदार अपी0 सं. 02 एंव 03 की भूमि में दर्शा दिया गया है जिसे नक्शे में शुद्व करवाने का रेस्पों0 अधिकारी है। रेस्पों0 को यह पूर्ण अधिकार हासिल है कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा रेस्पों0 के कब्जे काश्त की भूमि जो पुराने नक्शा अनुसार मार्क–ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. से नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी है के अनुसार वर्तमान नक्शे को शुद्व किया जावें तथा जितनी–जितनी भूमि मेरे पुराने नक्शेनुसार अपी0 के नक्शे में दर्शायी गयी है उनके नक्शे से हजफ कर मेरे नक्शे में जोडी जावे तथा रेस्पों0 के नक्शे में अपी0 सं. 04 ल0 06 के पक्ष में ख.नं. 494 की भूमि जो मेरे हिस्से में दर्शायी गयी है उसे रेस्पों0 के हिस्से से हजफ किया जावें। इसी तरह आराजी ख.नं. 493 की कुछ भूमि जो 0.0176 है0 मेरे खेत ख.नं. 494 में दर्शादी गयी है उसे रेस्पों0 के नक्शे से हजफ कर अपी0 सं. 08 ल0 13 के खेत ख.नं. 493 में दर्ज की जावें। रेस्पों. सं. 4 एच.डी.एफ.सी. बैंक के पैरोकार ने अवगत कराया कि अधिनस्थ न्या[illegible] आदेश के अनुसार उक्त आराजी को रहन रखकर ऋण दि[illegible]यालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यन[illegible] निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि [illegible] है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायाल का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. रेस्पों. ने अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा शुद्वि राजस्व नक्शा बावत् वाद प्रस्तुत किया था। नक्शें शुद्वि की घोषणा लैण्ड होल्डर की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारों को सुनवायी का अवसर दिया जाकर की जाती है परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी यह आदेश नहीं है कि लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) से रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। बिना लैण्ड होल्डर की रिपोर्ट के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुरूप नहीं है। इसलिए अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली के मु0नं0 27/2018, निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2019 को अपास्त किये जाते है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) से विस्तृत रिपोर्ट लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली के यहां दिनांक 14.10.2021 को उपस्थित होवे।

9. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14.9.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner